कार्यालय, जिला परिषद, नवादा।

अल्पकालिन आम सूचना।

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, नवादा के निम्नांकित बस/वाहन पड़ाव तथा बाजार एवं सैरात (तालिका दो में वर्णित)की दिनांक 01.10.2019 से 31.03.2020 तक (वित्तीय वर्ष–2019–20) की अवधि के लिए दैनिक चूंगी वसूली हेतु उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा द्वारा निम्न तालिका एक में वर्णित तिथियों एवं स्थान पर खुली डाक से बन्दोवस्ती की जायेगी। किसी भी तिथि में यदि तीन डाकवक्ता उपस्थित हो जाते हैं तो डाक की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

तालिका–01

क0	तिथि	स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 20.09.2019	समाहारणालय स्थित विकास भवन का सभागार कक्ष	

बन्दोवस्ती के नियम एवं शर्तो की जानकारी के लिए जिला की वेवसाइट **www.nawada.bih.nic.in**पर अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही जिला परिषद कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक डाकवक्ता उपर्युक्त तालिका–01 में वर्णित तिथियों को निम्नतालिका संख्या–02 में वर्णित सभी सैरातों के लिए खुली डाक में भाग ले सकते है।

तालिका–02

क0	बस एवं टैक्सी पड़ाव/दैनिक बाजार की चुंगी का नाम	अग्रधन की राशि 10%	सुरक्षित जमा राशि	कार्यालय पत्रांक से निर्धारित सुरक्षित जमा
1	2	3	4	6
1	बस पड़ाव बुधौल, खाता नं0 252, खेसरा नं0 1101 रक्वा 4 एकड	4,13,310	41,33,100	ज्ञापांक 45 दिनांक 22.02.2019
2	बस पड़ाव धमौल, खाता नं0 501, खेसरा नं0 442 रक्वा 0. 05 एकड	75,900	7,59,000	तथैव
3	बस पड़ाव सं0–3 नवादा, खाता नं0 236, खेसरा नं0 504 रक्वा 0.05 एकड़	5,62,350	56,23,500	तथैव
4	दैनिक चुंगी वसूली बाजार पकरीबरावाँ खाता नं0 2614 खेसरा नं0 12803,12091,12092, 13086,10599,10600 किस्म सड़क जिला परिषद सड़क के दोनों किनारे	12,191	1,21,907	तथैव

सामान्य शर्ते :–

(1) डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित अग्रधन की राशि रोकड़पाल, जिला परिषद्, नवादा के पास जमा करना अनिवार्य होगा। तथा मूल रसीद के साथ ही भाग ले सकते है।

(2) बन्दोवस्तधारी को बस पड़ाव एवं बाजार में दैनिक चूंगी की वसूली पूर्व निर्धारित दर के आधार पर करना होगा।

(3) डाकवक्ता को डाक बोलने के पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय, चरित्र प्रमाण पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड एवं पैन कार्ड) जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(4) जिस डाकवक्ता के पास पूर्व से डाक की बकाया राशि लंबित होगी। उन्हें डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

(5) डाकवक्ता को जिला परिषद कार्यालय नवादा का पूर्व से बकाया राशि नहीं रहने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

(6) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 06%(प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क एवं 02%(प्रतिशत) निबन्धन शुल्क यानि कुल 8%(प्रतिशत) सहितकुल राशि दुसरे दिन बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करनी होगी। जमा नहीं करने की स्थिति में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय डाक वक्ता से **Negotiate** किया जायेगा।

बन्दोवस्ती के शेष बची आधी राशि दिनांक–01.12.2019 को बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से बन्दोवस्तधारक को जमा करना होगा। जमा नहीं किये जाने की स्थिति में बन्दोवस्ती राशि की वसूली हेतु निलाम पत्र वाद एवं अन्य कार्रवाई की जायेगी।

(7) बन्दोवस्ती को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पास सुरक्षित होगा।

26/8/19.
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, नवादा।

ज्ञापांक –383 /जि0परि0 नवादा दिनांक –31.8.19

प्रतिलिपिः– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं दो अग्रणी दैनिक समाचार पत्र यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26/8/19
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, नवादा।

ज्ञापांक –383 /जि0परि0 नवादा दिनांक –31.8.19

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित, अनुरोध है कि जिला परिषद, नवादा के नियम एवं शर्तो को जिले के वेवसाईट **www.nawada.bih.nic.in**पर प्रकाशित किया जाय।

26/8/19.
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, नवादा।

ज्ञापांक –383 /जि0परि0 नवादा दिनांक –31.8.19

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा/रजौली, जिला अभियंता, जिला परिषद, नवादा/जिला जनसम्पर्क पदा0, नवादा/कार्यपालक पदा0, नगर परिषद, नवादा/सभी प्रखण्ड विकास पदा0/सभी अंचलाधिकारी, जिला –नवादा को सूचनार्थ एवं जानकारी हेतु कार्यालय के नोटिश बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु प्रेषित।

26/8/19.
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, नवादा।

ज्ञापांक –383 /जि0परि0 नवादा दिनांक –31.8.19

प्रतिलिपिः– उप महालेखाकार (वित्त एवं अंकेक्षण) महालेखाकार का कार्यालय बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नवादा/पुलिस अधीक्षक, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/8/19.
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, नवादा।